भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-937
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना

937. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई है; और
(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य और शैक्षिक सामग्री के सृजन में सहायता करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अथवा भागीदारी की जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने का अधिदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है और जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान है। नीति में घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) सहित विभिन्न हितधारकों को मातृभाषा/भारतीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम के लिए विभिन्न भाषाओं में साहित्य और शिक्षा सामग्री बनाने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और उनके स्वायत्त निकायों को

अपने-अपने क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता निर्माण निधि का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि युवाओं को शिक्षा के स्थान से कार्यस्थल तक और वहां से अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति तक पहुंचने में मदद करने में भारतीय भाषा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भाषा संगम कार्यक्रम के साथ-साथ मशीनी अनुवाद प्रकोष्ठ भी चला रही है जो विभिन्न पुस्तकों का अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध विद्यालयों से कहा है कि वे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भारतीय भाषाओं को बुनियादी स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के अंत तक, अर्थात् पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक, अन्य मौजूदा विकल्पों के अतिरिक्त वैकल्पिक माध्यम के रूप में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर विचार करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने तकनीकी पुस्तकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु अनुवादिनी ऐप का लाभ उठाया है। अनुवादित पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित की गई हैं। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कुछ संस्थानों में 12 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान की जा रही है। पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण संसाधनों सहित पाठ्यक्रम सामग्री डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने वर्ष 2022 में मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी शुरु की है, जिसका उद्देश्य मुक्त स्रोत में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए भाषण और पाठ अनुवाद के लिए मुख्य भाषा प्रौद्योगिकी विकसित करना है। पाठ और वॉइस में भाषा अनुवाद के लिए भाषिणी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) को एपीआई सेतु (https://apisetu.gov.in) पर सूचीबद्ध किया गया है। भाषिणी एपीआई किसी भी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने के लिए उपलब्ध हैं।

*****